

(रा.श. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवाणा जिला बालोतरा  
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम पूलठा की जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 295 में मेरा/हमारे नाम अमराराम पुत्र तेजा

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम अमराराम पुत्र तेजाराम हैं।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

अमराराम  
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्रार्थी के आधार कार्ड के अनुसार अमराराम पुत्र तेजा के स्थान पर अमराराम पुत्र तेजाराम शुद्ध किया गया उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

Gcms 2025/012

आदेश

क्रमांक / ग.वे.शि. / 1730

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम पूलठा की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 295 में अमराराम पुत्र तेजा के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

अमराराम पुत्र तेजाराम की जाती हैं नदरानर रकॉर्ड में अगल दरगद की कार्यवाही की जावे ।



कृपया की स्वीकृति प्रदान  
उपखण्ड अधिकारी सिवाणा  
सिवाणा, बालोतरा